रोडवेज बस से अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा सहित तस्कर को गिरफ्तार किया

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिये शहर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन नश्वर के तहत मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही कर रही है। ऑपरेशन नश्वर अभियान के तहत रानपुर पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान रोडवेज बस से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जिसके पास से दो बैगो में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पाउडर बीस किलो 400 ग्राम बरामद हुआ।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि कोटा शहर में अवैध पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन नश्वर अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी

■ बीस किलो डोडा-चूरा बरामद

व पुलिस उपअधीक्षक मनीष शर्मा के निर्देशन में रानपुर के थानाधिकारी मांगेलाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि रानपुर थानाधिकारी मांगेलाल मय जाप्ता पुलिस चौकी जगपुरा के सामने नाकाबंदी कर झालावाड की तरफ से आने वाहनों की चैकिंग कर रहे थे।

उसी दौरान मनोहरथाना से कोटा की और आने वाली रोडवेज बस में चैकिंग के दौरान दो बैगो में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बरामद होने पर खोखरिया थाना कापरडा जिला जोधपुर निवासी सुनील कुमार (30) को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पाउडर की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा सहित आरोपी को गिरफ्त में लिया।

अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा 310 ग्राम सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को भी जप्त किया। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ एवं तस्करों के विरूद्ध पुलिस उपअधीक्षक वृत चतुर्थ मनीष शर्मा के सुपरविजन मे आरकेपुरम थाने के उपनिरिक्षक थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मादक पदार्थ तस्करों की निगरानी कर मादक पदार्थ तस्करों को अवैध मादक पदार्थ सहित पकड़ने के लिये रूपरेखा तैयारी की। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने फोर लाईन हाईवे के पास नाकाबंदी के दौरान मोटरसाईकिल सवार दो जनो पर संदेह होने पर रोककर तलाशी ली तो उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा 310 ग्राम बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए गांव देईखेडा थाना पनवाड जिला झालावाड़ हाल क्रेशर बस्ती अनंतपुरा निवासी सत्यनारायण (48) एवं क्रेशर बस्ती निवासी दीपक (24) को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

बी.आर.के.जी.बी. उपलब्ध करवा रहा रियायती दरों पर विभिन्न योजनाओं में ऋण

कोटा में बी.आर.के.जी.बी. के बैंक मित्रों की कार्यशाला को क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार यादव ने संबोधित किया है।

कोटा, (निसं)। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना तेहरवां स्थापना दिवस मना रहा हैं। इस अवसर पर सप्ताहभर प्रभात रैली, ग्राहक संगोष्ठी, रक्तदान एवं साइबर जागरूकता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार यादव ने बैंक की स्थापना के उद्देश्यों व बैंक की व्यावसायिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुये बैंक द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में दी जा रही विभिन्न जमा एवं ऋण योजनाओं एवं रिटेल लोन फैक्ट्री द्वारा ऋण प्रस्तावों के सरलीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताते हुये कृषि क्षेत्र के साथ-साथ अकृषि क्षेत्र में बैंक द्वारा किये जा रहे वित्तपोषण की विस्तृत जानकारी दी। यादव ने बताया कि बैंक का कुल व्यवसाय रुपयें 56405 हजार करोड़ हैं। बैंक का एनपीए स्तर 1 प्रतिशत से कम हैं जिससे बैंक की लाभप्रदता में लगातार बढ़ोतरी हुई है तथा बैंक मजबूत स्थिति में हैं। राजस्थान में बैंक के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में स्थित है जिसका कार्यक्षेत्र कोटा जिला एवं बूंदी जिले का तालेड़ा उपखंड है। क्षेत्र का कुल व्यवसाय रुपयें 3770 करोड़ हैं। इसी क्रम में सोमवार को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे बैंक मित्रों की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2024-25/100848 **लोक सूचना** दिनांक : 03.01.2025

श्री SAIFUDDIN SUNELWALA पुत्र श्री HASANALI SUNELWALA जाति MUSALMAN निवासी FLAT NO. 201 BUHRANI NAGAR TIPTA KOTA. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नांता, लाड़पुरा (कोटा)	SAIFUDDIN SUNELWALA S/O HASANALI SUNELWALA CASTE-MUSALMAN SA. HATIMAVILLA FLAT NO 201 BOHRA MOHALLA TIPTA KOTA	2158/652	1000	0.1
				कुल	0.1

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लांग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.01.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया

कोटा, (निसं)। जीआरपी पुलिस टीम ने दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ते समय दो यात्रियों से मोबाईल व पर्स चोरी के मामले में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जीआरपी थानाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 6 जनवरी को संदीप पाल ने रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि वे अपने दोस्त नंदकिशोर के साथ कोटा से जयपुर जाने के लिये दयोदय एक्सप्रेस के जनरल कोच में चढ़ रहा था उसी दौरान उसके जेब से किसी ने मोबाइल एवं उसके दोस्त की जेब से पर्स निकाल लिया।

जीआरपी थानाधिकारी ने बताया की परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करते हुए जबलपुर निवासी मोहम्मद वसीम (28) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी के पास से मोबाईल एवं उसके दोस्त का पर्स बरामद कर लिया। पकडे गये आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

सर्किल के स्थापना दिवस व नव वर्ष मिलन कार्यक्रम समारोहपूर्वक आयोजित

कोटा, (निसं)। विगत 36 वर्षों से सामाजिक सेवा और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्यरत संस्था सिन्धु सोशल सर्किल के स्थापना दिवस व नव वर्ष मिलन समारोह में सिंधु महिला सर्किल ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनके द्वारा वर्ष 2025-26 की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया।

प्रारंभ में सर्कल के संरक्षक किशोर व कांता मदनानी, अध्यक्ष कमल व रुचिका सपरा, सचिव राजेश, सांस्कृतिक सचिव किशन व पूनम रतनानी तथा महिला सर्कल अध्यक्ष नीतू वनवानी, सचिव निर्मला आहूजा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व संरक्षक मुरलीधर अलरेजा, पूर्व अध्यक्ष राज ठाकुर, सांस्कृतिक सचिव किशन रतनानी व रेणु चंचलानी ने कविता प्रस्तुत की। अपने उद्धबोधन मैं नव-नियुक्त संरक्षक राजकुमार खूबचंदानी और अध्यक्ष विमल परियानी ने नए सत्र में समाजिक सेवा और सिंधी भाषा, साहित्य से जन-जन को जोड़ने पर जोर दिया। इस अवसर पर सर्किल के संस्थापक सचिव गोपाल सपरा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ केक काटा और 36वें वर्ष में प्रवेश की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सांस्कृतिक सचिव किशन रतनानी ने किया। कार्यक्रम में मुकेश आहूजा का सम्मान किया गया।

कोटा में सिंधु सोशल सर्किल के द्वारा स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया।

चिकित्सा शिविर का आयोजन 15 को

कोटा, (निसं)। भाटिया एण्ड कम्पनी के नए वर्कशॉप पर मंगलवार को मिटिंग आयोजित की गई। जिसमें कम्पनी के पूर्व निदेशक स्व.हरीश जे.भाटिया के जन्मदिन के उपलक्ष में 15 जनवरी को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, जाँच एवं मल्टी स्पेशलिटी शिविर एस.जी.एन.पब्लिक स्कूल मानसगांव में आयोजित किया जायेगा। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉ.सुधीर गुप्ता द्वारा निःशुल्क आंखों के मोतियाबिन्द ऑपरेशन व लैंस प्रत्यारोपण किये जाऐंगे साथ ही सुधा मेडिकल कॉलेज जगपुरा के डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क बॉडी चेकअप किया जायेगा। मिटिंग में ताथेड़, मानसगांव, केशवरायपाटन, कोटसुवा, निमोदा हरिजी, गोदल्याखेड़ी, किशनपुरा तकिया, रंगपुर, खेड़ारसुलपुर व आसपास के गांवों से आये सभी सरपंच एव अतिथिगण उपस्थित हुये।

खोया-पाया

नरेश गिडवानी पुत्र फेरुमल गिडवानी MNCP-10 महावीर नगर तृतीय कोटा का निरस्तीकरण पत्र गुम हो गया है, किसी को मिलने पर सूचित करें. मो. 9602417219

कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दादाबाड़ी कोटा

क्रमांक : 2025/16 **नीलामी विज्ञप्ति** दि. 07.01.2025

कार्यालय के नाकारा/अनुपयोगी सामान मूल्य रूपये राशि 349733/- की नीलामी दिनांक 13.01.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे कार्यालय परिसर में जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में की जावेगी। नीलामी से पूर्व इच्छुक बोलीदाता (जीएसटी रजिस्टीकृत) को 5000/- रूपये राशि धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति पर नीलामी राशि की सम्पूर्ण राशि नीलामी के दिन ही जमा करवानी होगी। नीलाम हुए सामानों को ले जाने का व्यय बोलीदाता को ही वहन करना होगा। जीएसटी राशि जमा करवाने का दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
दादाबाड़ी कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण, (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/14868 दिनांकः-27.12.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री नन्दलाल जैन निवासी-264 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा दक्षिण भूखण्ड संख्या-264 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या-264 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी, चम्बल परियोजना कोटा के क्रमांक 3040 मण्डी कमेटी/61 दिनांक 03.08.1961 से श्री गुरूदेव सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह साहनी को किया गया। श्री गुरूदेव सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह साहनी ने श्री भोजाराम पुत्र श्री मेघराज को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1963 से विक्रय किया गया है। श्री भोजाराम पुत्र श्री मेघराज ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.1977 से श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री आनन्दी लाल जैन एवं श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को उक्त का आधा भाग विक्रय किया गया है। श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री आनन्दी लाल ने उक्त भुखण्ड का एक वसीयत नामा दिनांक 12.11.1982 से उक्त भूखण्ड में से स्वयं के आधे हिस्से की वसीयत श्री महेन्द्र कुमार जैन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री नन्दलाल जैन के पक्ष में की गई है। श्री नन्दलाल जैन पुत्र स्व.श्री आनन्दी लाल जैन की मृत्यु दिनांक 20.03.2012 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्री महेन्द्र कुमार जैन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री नन्दलाल जैन है। श्री महेन्द्र कुमार जैन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जैन के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होंने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-2158 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-24.9.24

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 373 योजना केशवपुरा-6 पुनर्वास में आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 07.11.1986 को श्री परमानन्द पुत्र श्री भंवर लाल के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री परमानन्द की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी स्व. श्री परमानन्द के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान शपथ पत्र, रिलीज डीड, राशन कार्ड, सहमति शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 373 योजना केशवपुरा-6 पुनर्वास का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी स्व. श्री परमानन्द के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4612 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 7.1.25

आवास संख्या 4-क्यू-9 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रामकुमार नागर पुत्र श्री राम किशन नागर को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रामकुमार नागर पुत्र श्री राम किशन नागर द्वारा दिनांक 08.06.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामकुमार नागर पुत्र श्री राम किशन नागर की मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकुमार नागर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 4-क्यू-9 तलवण्डी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकुमार नागर के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकुमार नागर के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकुमार नागर के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4613 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 7.1.25

आवास संख्या 4-बी-7 रंगबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती बिशनी बाई पत्नी श्री सेवा राम को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती बिशनी बाई पत्नी श्री सेवा राम द्वारा दिनांक 30.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्रीमती बिशनी बाई पत्नी श्री सेवा राम की मृत्यु दिनांक 04.02.2006 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन दिनांक 21.09.2021 को हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री अनिल माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात श्री अनिल माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.11.2024 को श्रीमती सुषमा विजय पत्नी श्री दीपक विजयवर्गीय को किया गया। श्रीमती सुषमा विजय पत्नी श्री दीपक विजयवर्गीय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-बी-7 रंगबाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुषमा विजय पत्नी श्री दीपक विजयवर्गीय का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुषमा विजय पत्नी श्री दीपक विजयवर्गीय के नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुषमा विजय पत्नी श्री दीपक विजयवर्गीय के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

हिरासत से फरार वांछित मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। जीआरपी पुलिस टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान कोटा स्टेशन से पुणे साइबर टीम को चकमा देकर हिरासत से फरार हुई साइबर फॉड की मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जीआरपी पुलिस उपअधीक्षक शंकर लाल ने बताया कि जीआरपी थानाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में साइबर फॉड की वांछित अभियुक्त गुड़िया उर्फ सोफिया उर्फ सानिया सिद्दीकी (24) की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। जीआरपी पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि करीब साढ़े 10 माह बाद जीआरपी टीम के लगातार प्रयास के बाद साइबर फॉड की वांछित अभियुक्त फरीदाबाद हरियाणा निवासी सानिया उर्फ गुड़िया को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीआरपी पुलिस उपअधीक्षक शंकरलाल ने बताया कि पुलिस थाना पुणे के साइबर पुलिस उपनिरीक्षक प्रमोद खरात ने 19 फरवरी 2024 को जीआरपी थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा था कि 6 फरवरी को साइबर पुलिस टीम पुणे साइबर फॉड में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुणे से रवाना हुई थी। 16 फरवरी को साइबर फ्रॉड की वांछित मुख्य अभियुक्त फरीदाबाद हरियाणा निवासी सानिया उर्फ गुडिया को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 17 फरवरी को न्यायालय से गिरफ्तारशुदा आरोपी का यात्रा वारंट प्राप्त किया। रिपोर्ट में कहा कि 17 फरवरी को दुरंतो एक्सप्रेस से हजरत निजामुद्दीन से मुख्य आरोपी को लेकर पनवेल के लिये रवाना हुऐ थे यात्रा के दौरान नींद लग जाने पर गिरफ्तारशुदा आरोपी ट्रेन के कोटा रेल्वे स्टेशन पर रूकने पर ट्रेन से उतरकर फरार हो गई। जीआरपी पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि परिवादी प्रमोद खरात की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर टीम का गठन किया था। टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तार कर लिया।

नम्रता जोशी सम्मानित

कोटा, (निसं)। जेसीआई इंडिया की ओर से हाल ही में 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नेटकॉन-2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया, जिसमें कोटा की नम्रता जोशी को आउटस्टैंडिंग नेशनल डायरेक्टर विनर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

जोशी को यह अवॉर्ड जेसीआई इंडिया के नेशनल प्रेसीडेंट रिकेश शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार जोशी जेसीआई इंडिया में डायरेक्टर, पीआर एंड मार्केटिंग के पद पर भी नियुक्त थी। जेसीआई इंडिया में इस पद पर पहुंचने वाली नम्रता जोशी हाड़ौती समेत राजस्थान की पहली महिला है, जो इस मुकाम पर पहुंची है। जेसीआई इंडिया के जोन-5 के लिए भी गर्व की बात हैं कि नेशनल डायरेक्टर नम्रता जोशी को इस पद पर नवाजा गया है। इस दौरान नम्रता जोशी को कई अवॉर्ड्स के लिए सराहा गया। इस अवसर पर जेसीआई इंडिया के जोन-5 से गौरव माहेश्वरी, सीए योगेश चांडक, रवि अग्रवाल, विभोर लोढ़ा, सीए अनीश माहेश्वरी व जितेश अडवाणी भी मौजूद थे।

एलन में 'बच्चों को बनाएं विजेता' विषय पर पेरेंटिंग सेशन

कोटा, (निसं)। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के प्री नर्चर एवं कॅरियर फाउंडेशन (पीएनसीएफ) डिवीजन की ओर से जवाहर नगर स्थित सत्यार्थ कैम्पस के सौहार्द सभागार में "बच्चों को बनाएं विजेता" विषय पर पेरेंटिंग सेशन आयोजित किया गया।

इस सेशन में प्रख्यात जीवन प्रशिक्षक, प्रेरक वक्ता, और गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ.संजय मालपानी ने पेरेन्ट्स को संबोधित किया। सत्र में डॉ. मालपानी ने बच्चों के आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ावा देने के लिए विचार साझा किए। उन्होंने आठ तरह की विभिन्न बुद्धिमत्ताओं का वर्णन करते हुए अभिभावकों को बताया कि हर बच्चे की विशेषताएं अलग होती हैं, जिन्हें पहचानना और प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।

कैसे एक स्वस्थ दिनचर्या बच्चों के चहुंमुखीं विकास और व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद, कला, उनके स्वाभाव एवं अभिरुचियों में एक सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाऐं। उन्होंने अभिभावकों को सजग रहने और बच्चों को "ना" सुनने की आदत सिखाने पर जोर दिया जो उनके आत्म-संयम और निर्णय क्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा कि माता-पिता का सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों को आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बनाता हैं।

सत्र में एलन निदेशक डॉ. गोविन्द माहेश्वरी, डॉ. नवीन माहेश्वरी, तथा वाईस प्रेसिडेंट एवं पीएनसीएफ हेड अमित गुप्ता ने उपस्थित होकर डॉ.मालपानी का पारंपरिक स्वागत किया। उन्हें पाग, उपरणा, और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।। अंत में डॉ.मालपानी ने अभिभावकों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री रामस्वरुप गोस्वामी पुत्र स्व. श्री सोहनलाल गोस्वामी निवासी-467 बसन्त विहार कोटा (राज.) का बड़ा पुत्र राकेश गोस्वामी (रामू) है जो उनके कहे अनुसार नहीं चलता है। उनके पुत्र के मेरे पक्षकार और उनके परिवार से सौहादपूर्ण संबंध नहीं है। यह कि मेरे पक्षकार ने अपने पुत्र राकेश गोस्वामी को वर्ष 2020 में उसका हिस्सा देकर उसे अलग कर दिया था। वर्तमान में उनका पुत्र उनसे अलग रह रहा है। तथा मेरा पक्षकार अपने पुत्र को अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर चुका है। अब उनके पुत्र का मेरे पक्षकार के मकान या अन्य किसी भी सम्पत्ति, वस्तु आदि पर कोई भी अधिकार शेष नहीं है।

यह कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि मेरे पक्षकार का पुत्र राकेश गोस्वामी किसी भी व्यक्ति से किसी भी रुप में कोई राशि उधार लेता है या कोई लेन-देन करता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे पक्षकार के पुत्र के किसी भी प्रकार के कृत्य दायित्व उधार आदि के प्रति मेरे पक्षकार का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पक्षकार से उसके आवास पर उनके पुत्र द्वारा लिए गए कर्जे आदि को मांगने आता है तो मेरा पक्षकार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः उक्त सूचना द्वारा सभी सूचित हो कि मेरे पक्षकार के पुत्र राकेश गोस्वामी के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन या अन्य व्यवहार स्वयं की जिम्मेदारी पर करें।

भवदीय
कमल गुप्ता एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय कोटा
मो. 94142-88889, 95498-78889

चाइनीज मांझे के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। शहर में बहुतायत से बिक रहे चाइनीज मांझे को पूर्ण रूप से बेन करने के लिए कांग्रेसजन जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

ज्ञापन देने के दौरान जिला कांग्रेस

■ बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी

महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा कि चाइनीज मांझे के कारण शहर में कई जानलेवा हादसे हो रहे हैं। जिसमें किसी के नाक, कान, आंख, गले कट रहे हैं यहां केवल इंसान ही नहीं पक्षियों को भी जान का खतरा बना रहता है कई पक्षियों के पर कट रहे हैं तो की पक्षियों के गले, ऐसे में चाइनीज मांझे का कोटा ही नहीं पूरे देश में बेन होना चाहिए।

इस कारण हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चाइनीज मांझे बेचने और खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएं साथ ही कोटा शहर में जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत ने कहा कि चाइनीज मांझा नहीं खूनी मांझा बन चुका है जिस कारण कोटा शहर ही नहीं पूरे राजस्थान में चाइनीज मांझे के कारण लोगों की जान जा रही है पक्षियों की जान जा रही है इसके आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए और खरिदने और बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएं। इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया हैं।

ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सेवादल प्रदेश सचिव अमित सूद, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष चेतन मेवाड़ा, युवा नेता मोहम्मद जुबैर, विजय कोडप, हैदर खान, महेश अनीजवाल, पिंटू वर्मा, नफीस कुरैशी, मुकेश प्रजापति, सोहेल तनवीर, महेश रेगर, जुनैद अंसारी, बुधराज सिंह हाड़ा, आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे।

कोटा में चाईनीज मांझे के खिलाफ कांग्रेसजनों को ज्ञापन दिया गया।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्